आदेश पत्रक

(जैसे जाब्ता अधिनियम 1941 का नियम 129)

से ..... तक

वाद सं० 04 सन् 2023-24

आदेश पत्रक सं०
विषय
कौन का मकान

आदेश की क्रमसंख्या और तारीख	आदेश और पक्षकारों का हस्ताक्षर न्यायालय अंचल अधिकारी, घुरकी लिपिक वाद सं० 04 / 2023-24	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
28.11.2023	वेदव्यास राम पिता शिवबरत राम ग्राम घुरकी (प्रथम पक्ष) बनाम 1 कयामुद्दीन मिया सो शफी अहमद सो मजीद अली पिता मक्बूर मिया 2 जमील मिया सो मुख्तार मिया पिता कयामुद्दीन अंसारी 3 अन्वर अंसारी सो यशीर अंसारी पिता शफी अहमद 4 वकील अहमद पिता मजीद अहमद 5 अलीशेर अंसारी पिता रुस्तम मिया ग्राम घुरकी। (द्वितीय पक्ष) आवेदक के आवेदन के आलोक में राजस्व एवं निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा घुरकी के भत्त खाँ ब्याता सं० 2 प्लॉट सं० 221 तथा झाल खाँ ब्याता सं० 282 प्लॉट सं० 1942 कुल रकबा 0.07 ए० भूमि है। जिसमें 2.5 डेसी भूमि विमलेन्दु द्वारा आवेदक को प्राप्त है, उक्त भूमि पर कयामुद्दीन मिया वगैरह का नाजायज कब्जा है। जिस पर अपना झोपड़ी बना लिया गया है। दिनांक 28.11.2023 को दोनों पक्षकारों के साथ अंचलाधिकारी के कार्यालय में सशरीर उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। 28/11/23 अंचल अधिकारी, घुरकी।	
28.11.2023	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष उपस्थित। **प्रथम पक्ष** द्वारा बताया गया की मोबीन अंसारी, पिता जहरुद्दीन अंसारी से रकबा 2.5 डेसी भूमि खरीदारी की गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन इसी फूस है भूमि ऑन लाईन नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस भूमि पर झुग्गी/झोपड़ी लगाये थे वर्तमान में अलग हैं गैर गया है। **द्वितीय पक्ष** कयामुद्दीन मिया वगैरह के द्वारा बताया गया की यह भूमि मेरे पिता मक्बूर मिया पिता स्वर्गीय रुस्तम मिया के नाम से है, उनसे भूमि दाखा अहेया रामानुज चतुर्वेदी से खरीद की गई। जिसका ऑन लाईन ऑफ लाईन रसीद है, इन्होंने बताया की मेरा घर बना हुआ जिस में 4 कमरा है, जिसमें निवास करते है। पक्ष के आलोक में राजस्व एवं निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें अग्रेतर दिनांक 16.12.2023 को उपस्थापित करें।	

अंचल अधिकारी,
धुरकी।

अभिलेख उपस्थापित किया। अद्योहस्ताक्षरी अन्य कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो पायी। अतः अभिलेख **दिनांक 27.12.2023** को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
धुरकी।

अभिलेख उपस्थापित किया। अद्योहस्ताक्षरी अन्य कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो पायी। अतः अभिलेख **दिनांक 27.06.2024** को उपस्थापित करें।

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मामला CNI/Filing no 91/2022 सिविल कोर्ट में लंबित है। चुकि मामला सिविल न्यायालय लंबित है जिसका सुनवाई निम्न न्यायालय में करना उचित प्रतित नही होता है। इस आशय के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27/06/24

अंचल अधिकारी,
धुरकी।

27/06/24

अंचल अधिकारी,
धुरकी।

Digitally signed by MOHMAD ZULFEKAR ANSARI
Date: 2024.07.08 15:57:31 +05:30
Location: 192.168.43.2